कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

जिला पाली पुलिस ने 0.130 ग्राम स्मैक बरामद कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

जयपुर 17 मई। पाली जिले के थाना सोजत व बगडी नगर पुलिस ने बुधवार को तस्करी विरोधी सघन अभियान के दौरान लोकल एक्ट की कार्यवाही में लोकेश पुत्र माकणचन्द एवं महेन्द्र पुत्र नारायणलाल को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक पाली श्री दीपक भार्गव ने बताया कि श्री भोमाराम वृताधिकारी सोजत के निर्देशन में थानाधिकारी बाघसिंह मय पुलिस दल श्री जोगाराम मुआ, पुलिस जाब्ता कानि सर्वश्री जितेन्द्र भाटी, नरेन्द्र मीणा, पवन कुमार विजय कुमार ने 17 मई 2017 को लोकल एक्ट की कार्यवाही के लिए नौ पूलिया बगडीनगर के पास पहुॅच दौराने लोकल एक्ट की कार्यवाही लोकेश पुत्र माकणचन्द जाति कलाल उम्र 23 साल निवासी बगडी नगर व महेन्द्र पुत्र नारायणलाल जाति प्रजापत उम्र 27 साल निवासी सियाट पुलिस थाना सोजत रोड को दस्तयाब कर उनके कब्जे से 0.70 ग्राम व 0.60 ग्राम स्मैक बरामद करने की कामयाबी हासिल कर मुलजिम लोकेश व महेन्द्र को गिरफतार किया गया।

श्री दीपक भार्गव ने बताया कि उक्त बरामदगी पर मुकदमा एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री भूटाराम थानाधिकारी सोजत रोड द्वारा किया जा रहा है।

राही/सन्तरा/401/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

बोर्डर होम गार्ड एवं रिक्तियों एवं 70 प्रतिशत से अधिक नियोजन वाले केन्द्रो पर अब स्वयं सेवको की भर्ती की जायेगी

–गृहमंत्री

जयपुर 17 मई। गृहमंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि बोर्डर होम गार्ड की रिक्तियों एवं 70 प्रतिशत से अधिक नियोजन वाले केन्द्रो पर अब स्वयं सेवकों की भर्ती की जायेगी। उन्होंने कहा कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के होमगार्ड को अब किसी भी सूरत में नियोजित नहीं किया जायेगा।

श्री कटारिया बुधवार को अपने कक्ष में राजस्थान गृह रक्षा विभाग की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निजी सिक्योरिटी ऐजेन्सीज में 25 प्रतिशत होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को नियोजित करने के लिये अपनी सहमति दे दी है।

गृहमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–2015 से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली है उनमें आवश्यक संशोधनो के बाद कार्मिक एवं वित्त विभाग ने भी अनुमोदित कर दिया हैं तथा अब आरपीएससी में लंबित है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की परामर्शदात्री समिति के अनुसार विभाग द्वारा प्रदत लाइसेंस शुदा सिक्योरिटी ऐजेन्सीज एवं विभाग के जिला कार्यालयों को इस संबंध में 25 प्रतिशत होमगार्ड्स को नियोजित करने संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है।

श्री कटारिया ने बताया कि सीमा गृह रक्षा के नियोजन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर जिलों में कुल 2 हजार 664 स्वीकृत स्वयंसेवक हैं इनमें कुल एक हजार 640 प्रतिदिवस है जो स्वीकृत नफरी का 61 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि गृह रक्षा विभाग के स्थाई स्टाफ में राजपत्रित सेवा के 56 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 34 पद भरे हुए हैं। इसी प्रकार अधीस्थ सेवा के 687 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 312, मंत्रालयिक सेवा के 152 के विरूद्ध 115 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा के 110 पदों के विरूद्ध मात्र 80 पद भरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह एक हजार 5 पदों के विरूद्ध 541 पद ही भरें हैं तथा 464 पद रिक्त हैं, इन्हें भरने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह श्री दीपक उप्रेती ने बताया कि पुलिस विभाग में वित्त विभाग ने इस वर्ष होमगार्ड के नियोजन काफी कम कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिये पुनः वित्त विभाग को 1979 से अब तक की स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रकरण को पुनः भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस महानिदेशक गृहरक्षा श्री नवदीप सिंह ने विभागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि विभाग में स्थाई स्टाफ के कुल 474 पद रिक्त है, जिनमें से 201 रिक्तियों आरक्षियों की है। उन्होंने बताया कि इन रिक्तियों के विरूद्ध होमागार्ड स्वयंसेवक लगाने की स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को निवेदन किया जा चुका है।

इस अवसर पर गृहरक्षा विभाग के अन्य सम्बन्धित अधिकारी भी उपस्थित थे।

राही/सन्तरा/400/2017

नोटः— उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।